

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

राँची,

दिनांक :- 17-1-14

अधि.सं.-01/स्था.स्थाना.पदस्था.-11-01/2011.....369...../श्री गणेश राम, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं जल विज्ञान संगठन, राँची को अगले आदेश तक अपने मूल कार्य के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. यह आदेश पूर्णतः अस्थायी है। उक्त पद पर नियमित पदस्थापन के पश्चात् यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।

3. उक्त कार्य के लिए श्री गणेश राम को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

369

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

369

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड राँची (दो प्रतियों में)/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ श्री गणेश राम, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं जल विज्ञान संगठन, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02, 03, 04, 06, 07यो., 07ब., 08ए., 08बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)